फा.सं.7.5(4)/2020-एम एंड एम
संघ लोक सेवा आयोग
शाहजहां रोड, धौलपुर हाउस
नई दिल्ली – 110069

दिनांक :07.07.2020

ऑनलाइन निविदा पूछताछ (ई–निविदा)

संघ लोक सेवा आयोग परिसर में नोवेल कोरोना वायरस रोग (कोविड 19) के प्रसार को रोकने के लिए यंत्रीकृत इनडोर सेनिटाइजेशन/ कीटाणुशोधन स्प्रे/ फॉगिंग सेवा प्रदान करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य भवन, एनेक्सी भवन, आयोग सचिवालय भवन, परीक्षा भवन, कैंटन, सुविधा केंद्रों, संग्रहालय, डाकघर, बैंक, सीआईएसएफ पोर्टा केबिन, मैन्ड सीपीडब्ल्यूडी सबस्टेशन, पंप हाउस, जाम नगर हाउस के कार्यालयों जिनमें विभागीय रिकार्ड अनुभाग, रिक्रियेशन क्लब, सीआईएसएफ बैरक शामिल हैं, सहित संघ लोक सेवा आयोग के भवनों/परिसर के अंदर यंत्रीकृत इनडोर सेनिटाइजेशन/डिस्इंफेक्शन स्प्रे/फॉगिंग सेवा हेतु ऑनलाइन निविदा/बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। इस परिसर में दो गेस्ट हाउस हैं, जिनमें स्वागत कक्ष, रसोईघर, डिनर हॉल, स्वीट, कमरे, शौचालय, आदि हैं जो किसी भी सामान्य गेस्ट हाउस के लिए आवश्यक हैं। 25 कमरों वाला एक गेस्ट हाउस (एडवाइजर्स स्यूट्स) आयोग सचिवालय भवन का एक हिस्सा है और 17 कमरों वाला दूसरा कैंटीन भवन का एक हिस्सा है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दरों को उद्धृत करने से पहले कार्यालय परिसर में आकर इनडोर / आउटडोर एरिया और सरकारी वाहन / किराये पर लिए गए वाहनों, आदि का निरीक्षण कर लें। पूर्ण निविदा दस्तावेज केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) के वेबसाइट http://eprocure.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

प्रकाशन की तारीख	07.07.2020
बोली दस्तावेजों को डाउनलोड / बिक्री शुरू करने की तारीख	07.07.2020
बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तारीख	07.07.2020
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	28.07.2020 (1500 बजे)
बोली खोलने की तारीख	29.07.2020 (1500 बजे)

2. सेनिटाइजेशन / डिस्इंफेक्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित डिस्इंफेक्टेंट जैसे ओक्सीविर या वीरेक्स II-256 या अलस्टसन सिलवोक्स 150 का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। अन्य ब्रांड नाम के अंतर्गत समान फॉर्मूलेशन वाले डिस्इंफेक्टेंट पर विचार किया जा सकता है, हालांकि, बोलीदाता को यह स्थापित करना होगा कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित डिस्इंफेक्टेंट एनआईटी में उल्लिखत डिस्इंफेक्टेंटों से बेहतर है। किसी अवसर पर इन तीन डिस्इंफेक्टेंटों में से डिस्इंफेक्टेंट का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग के निर्देशानुसार होगा। विक्रेता को प्रत्येक डिस्इंफेक्टेंट के लिए सेनिटाइजेशन दर उद्धृत करना होगा और आसान उपलब्धता के लिए अपने भंडार में पर्याप्त स्टॉक रखना होगा। सिर्फ विरल / असाधारण परिस्थितियों के मामले में, विक्रेता को उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अलावा कोई दूसरा डिस्इंफेक्टेंट इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। ऐसी परिस्थितियों के तहत उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक डिस्इंफेक्टेंट अपने प्रभाव/कार्य में बराबर या बेहतर होना चाहिए। बोलीदाताओं को फ्यूमिगेशन के बाद कमरों / परिसर को फिर खोलने के लिए सेनिटाइजर / डिस्इंफेक्टेंट निर्माता द्वारा अनुशंसित अवधि (घंटों में) के बारे में अपनी तकनीकी बोली में **अनुबंध 1** में (तकनीकी बोली का हिस्सा) निर्दिष्ट करना होगा।

3. निविदा की वैधता

3.1 यह निविदा पीबीजी की पूर्ति के अधीन संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।
3.2 इस कार्य के महामारी के बढ़ने पर निर्भर होने के कारण, आयोग के विवेक पर समान निबंधन एवं शर्तों पर संविदा को एक और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। संविदा को 15 दिनों की सूचना पर समाप्त भी किया जा सकता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. आपूर्ति अनुसूची

4.1 सफल बोलीदाता को संविदा प्रदान किए जाने के तुरंत बाद सेवा आरंभ करनी होगी। चूंकि महामारी की मौजूदा स्थिति में समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सेवाएं शुरू करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अत: सिर्फ वही बोलीदाता आवेदन करें जिनके पास पहले से पर्याप्त अपेक्षित मानवशक्ति, सामग्री और तत्काल संसाधनों को लगाने की विशेषज्ञता हो। बोलीदाता कई क्लाइंट्स के साथ व्यस्तता की दलील नहीं देगा।

4.1 चूंकि सं.लो.से.आ. का कार्यालय बहुत बड़ा है, सफल बोलीदाता उपयुक्त समय में पूरे परिसर को कवर करने के लिए स्वतंत्र सेनिटाइजिंग मशीनों के साथ कई टीम/कर्मचारी तैनात करेगा। **किसी भी स्थिति में तीन स्वतंत्र टीमों से कम की तैनाती नहीं होगी।**

5. बयाना राशि

5.1 सचिव, सं.लो.से.आ. के नामे दिल्ली/नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक के रूप में 25,000/- रुपये (पच्चीस हज़ार रुपये) की बयाना राशि जमा (ईएमडी)। मूल ईएमडी व्यक्तिगत रूप से संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर (गेट सी) पर स्थित ड्रॉप बॉक्स में 07.07.2020 से 28.07.2020 (सिर्फ 3:00 बजे तक) के बीच डाली जा सकती है। ईएमडी की एक प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से अपलोड की जानी चाहिए। ईएमडी छूट का दावा करने वाले बोलीदाताओं को उसके समर्थन में प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। ईएमडी/ईएमडी छूट प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहने पर सफल बोलीदाता की उपरोक्त ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

6. पात्रता मानदंड

6.1 बोलीदाता को पंजीकृत और कम से कम पांच सालों से रोडेंट एंड पेस्ट सर्विसेज प्रदान करने के क्षेत्र में अस्तित्व में होना चाहिए। इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

6.2 बोलीदाता के पास अनिवार्य रूप से कीटनाशक / कीटाणुनाशक / रसायन / सैनिटाइजेशन स्प्रे के लिए अनिवार्य रूप से उचित एवं वैध सरकारी लाईसेंस होना चाहिए (संलग्न किए जाने वाले लाईसेंस की स्व-सत्यपित प्रति)

6.3 बोलीदाता के पास प्रतिष्ठित अस्पतालों, सरकारी मंत्रालयों / विभागों इत्यादि में कृंतक (Rodent) एवं पेस्ट सेवाओं अथवा विसंक्रमण / सैनिटाइजेशन स्पे सेवाएं प्रदान करने में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए । इसे स्थापित किए जाने हेतु खरीद/ कार्य आदेश की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

6.4 एक संगठन से एकल आदेश के मामले में संविदा मूल्य के संबंध में अनुसमर्थक दस्तावेज़ 20 लाख रूपए का होना चाहिए ।

अथवा

दो अलग-अलग संगठनों से प्रत्येक 12 लाख रूपए के दो आदेश होने चाहिएं ।

अथवा

तीन अलग-अलग संगठनों से प्रत्येक 10 लाख रूपए के तीन आदेश होने चाहिएं ।

6.5 निविदा में भाग लेने वाले बोलीदाता के क्षेत्र संचालन दिल्ली / एन सी आर में होने चाहिएं और दिल्ली / एन सी आर में कार्य संचालन की देख - रेख / निष्पादित किए जाने हेतु दिल्ली / एन सी आर में उनका कार्यात्मक पंजीकृत कार्यालय / क्षेत्रीय / जोनल/ स्थानीय कार्यालय अवश्य होना चाहिए । जिन फर्मों के पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय अथवा कार्पोरेट कार्यालय दिल्ली / एन सी आर में से बाहर हैं उनके कार्यात्मक क्षेत्रीय / जोनल / स्थानीय कार्यालय दिल्ली / एन सी आर में अवश्य होने चाहिएं ताकि दिल्ली / एन सी आर में कार्य संचालन की देख - रेख / कार्य निष्पादन कर सकें । इस संदर्भ में दस्तावेज़ी साक्ष्य की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए ।

6.6 फर्म का वार्षिक कारोबार 20 लाख रूपए से अधिक का होना चाहिए । पिछले तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के प्रत्येक वर्ष के लाभ / हानि विवरण के साथ तुलन -पत्र (Balance Sheet) की प्रतियां चार्टड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रस्तुत की जाएं ।

6.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवेदन करने वाले बोलीदाता के पास वैध पैन नं. और जी एस टी पंजीकरण होना चाहिए । बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रति संलग्न की जाएं ।

6.7.1 ई एम डी / ई एम डी से छूट प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि लागू हो तो ।

6.7.2 फर्म के जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति ।

6.7.3 फर्म के आयकर पैन नं. की प्रति ।

6.7.4 पिछले तीन वित्त वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के आयकर रिटर्न की प्रति ।

6.7.5 यह वचनपत्र कि इस फर्म को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है ।

6.7.6 अनुबंध-II के अनुसार घोषणा -पत्र

7. **<u>कार्य- क्षेत्र</u>**

7.1 आयोग के कार्यालय लगभग 7.25 एकड़ क्षेत्र में अवस्थित हैं, जिसमें से अनुमानित कापेरट एरिया लगभग 4 लाख वर्ग फीट है (चैंबर, आराम गृह, कॉरीडोर, सीढियां इत्यादि सहित। इसके अलावा 22 सरकारी वाहन हैं, उन्हें भी सैनिटाइज / डिसइंफेक्ट किया जाएगा। भवन वार अनुमानित कारपेट एरिया का विवरण तालिका-1 नीचे दिया गया है :-

तालिका-1

क्रम सं.	भवन का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)
1.	मुख्य भवन	55,819
2.	एनेक्सी भवन	49,522
3.	परीक्षा हॉल भवन	86,345
4.	आयोग सचिवालय भवन (जिसमें नया सलाहकार स्यूट भी शामिल है)	1,75,890
5.	पुराना सलाहकार स्यूट, कैंटीन-ए, कैंटीन-बी	11,765
6.	जाम नगर हाऊस	4,500
7.	अन्य क्षेत्र जैसे कि कैंटीन और पैसेज, लिफ्ट, लिफ्ट लॉबी, कूलिंग प्लांट, ए सी प्लांट, मैन्ड सबस्टेशन, सी आई एस एफ कोथ, पंप हाऊस, म्यूजियम, स्वागत कक्ष गेट सी, सी आई एस एफ मोर्चा इत्यादि।	16,157
8.	22 सरकारी वाहन* (प्रत्येक वाहन की औसत लंबाई 15 फीट, चौड़ाई 7 फीट	2,310
कुल =4 लाख वर्ग फीट (लगभग)		

* यदि और अधिक संख्या में वाहनों को सैनिटाइज करने की आवश्यकता होती है तो वाहन के वर्ग फीट औसत क्षेत्रफल के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

7.2 शुरूआत करने के लिए, डिसइन्फेक्शन / सैनिटाइजेशन स्प्रे के कार्य के लिए कम से कम एक बार प्रति सप्ताह की योजना बनाई गई है। इसकी आपूर्ति को आयोग की आवश्यकता / संबंधित सरकारी विभाग से प्राप्त अनुदेशों और / अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों से जुझने अथवा डिसइंफेक्शन / सैनिटाइजेशन स्प्रे की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। जिस दिन और समय पर इस कार्यकलाप को किया जाएगा वह आयोग की आवश्यकता के अनुसार होगा। प्रयुक्त किए गए कीटनाशक का प्रकार, कमरे को बंद करने की आवश्यकता इत्यादि पर आधारित दिन और समय प्रभावित हो सकता है।

7.3 सैनिटाइजेशन / डिसइंफेक्शन के लिए वास्तविक दिन / समय को संघ लोक सेवा आयोग के एम एम अनुभाग के प्राधिकृत कार्मिक द्वारा समन्वित किया जाएगा और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

7.4 कोविड -19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सभी मेजों, कुर्सियों, अलमारियों, फाइलों के ढेर के ऊपर और उसके आसपास और लकड़ी के फर्नीचर, सीढ़ियों, लिफ्ट की लॉबियों, विभिन्न लिफ्ट, सभी शौचालयों, नाली डक्ट, स्टोर आदि का कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए और फर्नीचर के नीचे कोई भी छिपा हुआ स्थान छूटना नहीं चाहिए।

8. अन्य निबंधन व शर्तें:

8.1 बोलीदाता स्प्रे / फ्यूमिगेशन विलयन को निर्माता के निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगा, यानी यदि निर्माता यह निर्देश देता है कि उपयोग से पहले इसे तनु (पानी मिलाकर पतला किया जाना) किया जाना है तो निर्माता के निर्देशानुसार ऐसा किया जाएगा। यदि फार्मूलेशन (विलयन) उपयोग किए जाने के लिए तैयार है और निर्माता द्वारा इसे तनु करने की सलाह नहीं दी जाती है, तो इसका उपयोग उसी रूप में किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए बोलीदाता निर्माता दस्तावेजों को संघ लोक सेवा आयोग के साथ साझा करेगा। इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि, केवल वही फर्म इसमें भाग लें जिनके पास पूरी जानकारी और तकनीकी ज्ञान हो। इसे साबित करने में विफल रहने पर संविदा रद्द/ समाप्त कर दी जाएगी और पीबीजी जब्त कर ली जाएगी।

8.2 कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की तैयारी / तनुकरण एमएम अनुभाग द्वारा प्रतिनियुक्त संघ लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी के सामने संघ लोक सेवा आयोग परिसर के भीतर तैयार/ तनु किया जाना चाहिए। बोलीदाता कीटाणुशोधन प्रक्रिया के संबंध में सभी 'क्या करें और क्या न करें' (Do's & Dont's) साझा करेंगे।

8.3 यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह उचित समय में काम पूरा करने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति, उपकरण और सामग्री तैनात करे। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग का परिसर काफी बड़ा है, **अत: न्यूनतम तीन स्वतंत्र टीमों या उससे अधिक, जैसा भी उचित समझा जाए, तैनात की जा सकती हैं।**

8.4 कार्य के लिए तैनात कर्मी, उचित वर्दी में होंगे और हमेशा फर्म द्वारा प्रदान किया गया आई-कार्ड पहने रहेंगे। इसका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

8.5 फर्म की जिम्मेदारी यह होगी कि वह सफाई और कीटाणुशोधन स्प्रे के लिए तैनात अपने कर्मियों को निस्संक्रामक निर्माता के निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से मास्क, दस्ताने, फेस कवर, चश्मा आदि सहित पर्याप्त सुरक्षा उपकरण किट प्रदान करे ।

8.6 बोलीदाता को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली स्प्रे / फॉगिंग मशीन की तकनीकी आवश्यकताएं और क्षमता, प्रयुक्त किए जा रहे कीटाणुनाशक और क्षेत्र को कवर करने के लिए उपयुक्त हैं। **इनडोर फॉगिंग मुख्य रूप से एयरोसोल आकार के लिए उपयुक्त सेटिंग में यूएलवी टाइप फॉगिंग मशीन सेट का उपयोग करके की जाएगी।**

8.7 इनडोर क्षेत्रों में फ्यूमिगेटिंग / छिड़काव के लिए, अधिमानतः बिजली से चलने वाली मशीनों को तैनात किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल/ केरोसिन मशीनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं / वाष्पों (फ्यूम्स) से बचा जा सके।

8.8 बोलीदाता किसी अन्य फर्म के साथ कार्य की उप-संविदा नहीं करेगा । यदि ऐसा पाया जाता है, तो परिणामस्वरूप संविदा की समाप्ति कर दी जाएगी और कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी ।

8.9 संघ लोक सेवा आयोग को सेवाएं प्रदान करते हुए बोलीदाता के किसी कर्मचारी/ उपकरणों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के हादसे के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

8.10 **संघ लोक सेवा आयोग परिसर का वास्तविक दौरा** : बोलीदाताओं को पुरजोर सलाह दी जाती है कि वे दरों को उद्धृत करने से पहले कार्यालय परिसर का दौरा करें और इनडोर क्षेत्र/ आउटडोर क्षेत्र और सरकारी वाहनों/ किराए के वाहनों का निरीक्षण आदि करके कार्य की मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट कर लें। बोलीदाता वरिष्ठ ईएम और एमओ/ ईएम और एमओ से पूर्व नियुक्ति के बाद ही 07.07.2020 से 28.07.2020 तक प्रात: 11 बजे से 12.00 बजे के बीच निरीक्षण कर सकते हैं।

9. **निविदा आमंत्रण सूचना का प्रस्तुतिकरण**

9.1 बोलियों को निम्नलिखित दो लिफाफों में ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

9.2 तकनीकी बोली: पहली बोली में उपरोक्त पैरा सं. 6 में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएंगी जो तकनीकी रूप से अनुमोदित होंगी। निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुरक्षित नहीं की गई किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.3 वित्तीय बोली: दूसरी बोली में "वित्तीय बोली" होनी चाहिए। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऑनलाइन उपलब्ध बीओक्यू फॉर्म में अपनी वित्तीय बोली प्रस्तुत करें। बोलीदाताओं को इनडोर क्षेत्रों सहित कार्यालय क्षेत्रों/ वाहनों आदि के लिए अपनी वित्तीय बोली ऑनलाइन बीओक्यू में प्रस्तुत करनी है।

9.4 बीओक्यू में सूचीबद्ध सभी मदों के लिए दरों को उद्धृत करना अनिवार्य है। अपूर्ण बीओक्यू/ मूल्य बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

9.5 फर्म द्वारा उद्धृत कीटाणुशोधन/ स्वच्छता स्प्रे के लिए दरें वाजिब और उचित होनी चाहिए। फर्म संलग्न घोषणा (अनुबंध II) में इस आशय का शपथपत्र देगी कि समान काम के लिए उनके द्वारा उद्धृत दरें किसी अन्य मंत्रालय/ सरकार या संगठन के लिए उनके द्वारा उद्धृत दरों से अधिक नहीं हैं।

10. **वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन**-

10.1 बोलीदाताओं द्वारा अपनी वित्तीय बोलियों (अनुबंध-III) में उद्धृत समग्र दरों के कुल योग के न्यूनतम के आधार पर एल-1 बोलीदाता का निर्धारण किया जाएगा ।

10.2 दो और दो अधिक बोलीदाताओं द्वारा एक समान न्यूनतम दरें उद्धृत करने की स्थिति में, उनमें से उस फर्म को संविदा प्रदान की जाएगी जिसका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक वार्षिक कारोबार होगा ।

11. **कार्य निष्पादन सुरक्षा धनराशि**:

सफल बोलीदाता (एजेंसी) को "कार्य निष्पादन सुरक्षा धनराशि" के रूप में निविदा की कुल अनुमानित लागत का 7% डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में सचिव, यूपीएससी के पास जमा करना होगा। "कार्य निष्पवादन सुरक्षा राशि" सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

12. **सामान्य निबंधन और शर्तें**:

12.1 एजेंसी को कार्य आदेश पत्र जारी करने के सात दिनों के भीतर कार्य आदेश पत्र स्वीकार करना होगा।

12.2 महामारी की प्रगति पर निर्भर रहने वाले कार्य के लिए समान नियम और शर्तों पर संविदा की अवधि को एक वर्ष और आगे के लिए बढ़ा सकता है। 15 दिन का नोटिस देकर संविदा को आयोग अपने विवेक से, समाप्त भी किया जा सकता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

12.3 श्रम / परिवहन आदि के कारण कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

12.4 काम पूरा होने के बाद, बनाए गए जॉब कार्ड / वर्कशीट को वरिष्ठ संपदा बैठक एवं रखरखाव अधिकारी (एस ईएम और एमओ) / ईएम और एमओ / केयरटेकर / मोटर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र (वाहनों के लिए) द्वारा साइन किया जा सकता है। जॉब कार्ड / वर्कशीट को एस ईएम और एमओ / ईएम और एमओ / केयरटेकर / मोटर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के हस्ताक्षर के बिना भुगतान हेतु स्वीकारा नहीं जाएगा।

12.5 एजेंसी द्वारा कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे के लिए तैनात कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन स्प्रे के काम में प्रशिक्षित होना चाहिए और उनका आचरण सही होना चाहिए, उन्हे काम के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी पुरानी या आकस्मिक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि तैनाती के लिए प्रस्तावित किसी भी कर्मचारी में बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहने या साँस लेने में कठिनाई के लक्षण हैं, तो उसे कीटाणुशोधन / सैनिटाइजेशन स्प्रे का काम करने से रोकना होगा तथा उस स्थिति में शारीरिक रूप से ठीक और फिट व्यक्ति को तैनात किया जाना चाहिए।

12.6 सं. लो. से. आ. की सुरक्षा हेतु आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों / ऑपरेटरों द्वारा ही कार्य किया जाएगा। एजेंसी काम करने के लिए गेट पास आदि जारी करने हेतु अपने अधिकृत कर्मचारियों की सूची उनके पूर्ववृत सहित अग्रिम रूप में आयोग को प्रदान करेगी।

12.7 एजेंसी भारत सरकार / श्रम मंत्रालय / औद्योगिक कानून के सभी वर्तमान और समय-समय पर संशोधित होने वाले वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी । आयोग इस संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा और न ही कोई खर्च वहन करेगा।

12.8 आदेशानुसार सफल बोलीदाता द्वारा कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराने पर सभी बोलीदाताओं की ईएमडी तुरंत वापस कर दी जाएगी। यदि सफल बोलीदाता कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल

रहता है, तो उस बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और उस फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एन आई टी के अनुसार L 2 फर्म को L1 दरों पर काम करने हेतु कहा जा सकता है।

13. **शास्ति**:

13.1 यदि आयोग द्वारा एजेंसी के कार्य निष्पादन को असंतोषजनक पाया जाता है, तो सचिव, यूपीएससी के पास किसी भी समय निविदा के संपूर्ण या किसी भाग को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

13.2 निर्धारित अवधि के भीतर काम पूरा करने में विफलता की स्थिति में, और यदि कार्य दोषपूर्ण पाया जाता है या इस कार्यालय की संपूर्ण संतुष्टि अनुरुप नहीं किया जाता है, तो सचिव, सं. लो. से. आ. को संविदा रद्द करने और वैकल्पिक व्यवस्था करने और बिल या सुरक्षा राशि के तहत इस कार्यालय द्वारा रखे गए सुरक्षा राशि से हानि की वसूली करने का अधिकार होगा।

13.3 यदि एजेंसी के कार्मिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों के बिना पाए जाते हैं जैसे फेस मास्क, दस्ताने ,फेस कवर ग्लास आदि नहीं पहनना तब उस माह विशेष की कुल राशि में से उस दिन के लिए प्रत्येक अवसर प्रति व्यक्ति 100/- का जुर्माना लगाया जाएगा। एजेंसी के ऐसे कर्मी सं.लो.से.आ. सी परिसर से प्रत्यावर्तित होने के लिए उत्तरदायी हैं और इस घटना को असंतोषजनक माना जाएगा।

13.4 यदि किसी महीने में दो अवसरों के लिए असंतोषजनक कार्य निष्पादन देखा जाता है, तो उस विशेष महीने में कुल बिल राशि के 5% की कटौती होगी।

13.5 यदि किसी महीने में दो से अधिक अवसरों और तीन अवसरों पर असंतोषजनक कार्य निष्पादन देखा जाता है, तो उस माह विशेष में कुल बिल राशि के 20% की कटौती होगी।

14. **भुगतान**:

14.1 एजेंसी काम पूरा होने के बाद मासिक आधार पर संतोषजनक कार्य प्रमाणन के साथ अपना बिल जमा कर सकती है ।

14.2 सीनियर ईएम और एमओ / ईएम और एमओ / केयरटेकर / मोटर ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर आदि से संतोषजनक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद भुगतान वास्तविक आधार अर्थात् वास्तव में सेनेटाइज किए गए क्षेत्र के आधार पर जारी किया जाएगा।

14.3 भुगतान अंतिम रूप से लागू दरों और करों के अनुसार किया जाएगा।

अवर सचिव / परामर्शदाता (एम एंड एम)

<u>**अनुबंध – I**</u>

विनिर्माता द्वारा सिफारिश की गई
आइसोलेशन अवधि का समय

तकनीकी बोली

क्र. सं	कीटाणुनाशक / सैनिटाइजेशन स्प्रे सर्विस हेतु रसायन का नाम	विनिर्माता द्वारा सिफारिश की गई आइसोलेशन अवधि का समय
(i)	(ii)	(iii)
1	विरेक्स-256/II (VIREX-256/II)	
2	आक्सिविर(OXIVIR)	
3	एल्सटासन सिलवोक्स 150 (Alstasan Silvox 150)	

टिप्पणी : - अन्य ब्रांड के समान फार्म्यूलेशन वाले कीटाणुनाशक पर विचार किया जा सकता है, हालांकि, बोली लगाने वाले को यह स्थापित करना होगा कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित कीटाणुनाशक एनआईटी में उल्लिखित कीटाणुनाशक से बेहतर है।

स्थान : __________
तारीख : ___________

मालिक/ प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता के हस्ताक्षर,
कंपनी के मोहर के साथ

<u>अनुबंध – II</u>

<u>घोषणा</u>

(इलेक्ट्रॉनिक रूप से तकनीकी बोली के साथ
विधिवत रूप से घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए)

संगठन का नाम ___________________________________

संगठन का पता _________________________________

प्राधिकृत / संपर्क व्यक्ति का नाम _____________________

प्राधिकार (यदि कोई हो) और
प्राधिकृत व्यक्ति / प्रोप्राइटर का नमूना हस्ताक्षर ___________________

पंजीकरण सं. (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति __________________________
संलग्न करें)

मैं, ______________________________, एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि निविदा सूचना के साथ दी गई निबंधन और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई हैं और मुझे / हमें (मेरे/ हमारे द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज की एक प्रति इसके साथ संलग्न है) पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं तथा ऊपर दी गई जानकारी मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार पूर्ण तथा सही है. मैं / हम समझते हैं कि किसी भी स्तर पर उपरोक्त कथन में किसी भी प्रकार की विचलन/ जाली जानकारी के मामले में, मेरी / हमारी फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

मैं, __________________________ आगे यह प्रस्तुत करता हूं कि मेरे / हमारे द्वारा उद्धृत दरें किसी अन्य मंत्रालय/ सरकारी संगठन द्वारा समान कार्य के लिए मेरे / हमारे द्वारा उद्धृत दरों से अधिक नहीं हैं।

स्थान: ___________
तारीख : ___________

मालिक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
कंपनी के मोहर के साथ

अनुबंध - III

वित्तीय बोली

क्र.सं		कीटाणुनाशक का नाम	दर, प्रति वर्ग फीट (रू. करों के अलावा)	कर की दर, % में (रू.)	यथा लागू कर	दर, प्रति वर्ग फीट (करों के साथ)
क	ख	ग	घ	ड़	च	छ
1.	तालिका 1 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए सं.लो.से.आ. परिसर (लगभग 4.0 लाख वर्ग फीट कारपेट एरिया और 22 स्टाफ कारों सहित) के कार्यालयों का सैनीटाइज़ेशन / कीटाणुशोधन	ओक्सवीर-II/ 256 (OXIVIR				
		विरेक्स VIREX-II/ 256				
		एलसटासन सिलेवक्स 150 Alstasan Silvox 150				
		समग्र दरें रू........				

टिप्पणी : -

1) कॉलम 'ग' में सूचीबद्ध सभी उपरोक्त मदों के लिए दरों को उद्धृत करना अनिवार्य है।
2) एल 1 बोलीदाता का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा उद्धृत समग्र दरों के सबसे कम कुल के आधार पर किया जाएगा.
3) उपरोक्तानुसार मूल्यांकन किए गए एल 1 दरों पर यदि आवश्यक हो तो मोलभाव किया जा सकता है ।

अनुबंध - IV

तकनीकी बोली प्रस्तुत करने संबंधी जांच सूची (तकनीकी बोली)

(बोलीदाता यह चैक कर लें कि निम्नलिखित दस्तावेज उनकी बोली के समर्थन में अपलोड किए गए हैं)

क्र.सं	संलग्न दस्तावेज का नाम	हाँ /नहीं
1	रू.25,000/- का ईएमडी या ईएमडी में छूट संबंधी प्रमाणपत्र (पैरा 5.1का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
2	संलग्न – I विनिर्माता द्वारा सिफारिश की गई आइसोलेशन अवधि (पैरा 2 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
3	दिल्ली / एनसीआर में पंजीकृत कार्यालय या प्रचालनरत कार्यालय के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य (पैरा 6.5 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
4	कृंतक(रोडेंट) और कीट नियंत्रण या कीटाणुशोधन / धूमन स्प्रे सेवाओं के संबंध में 5 वर्षों के कार्य आदेश / पीओ की प्रतियां (पैरा 6.4 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
5	पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18, और 2018-19 के दौरान शुद्ध लाभ / हानि प्रदर्शित करने वाले वार्षिक कारोबार के समर्थन में विधिवत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेज। (पैरा 6.6 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
6	फर्म के जीएसटी पंजीकरण की प्रति (पैरा 6.7.2 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
7	आयकर पैन नं की प्रति (पैरा 6.7.3 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
8	पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2016-17, 2017-18 और 2018-19 की आयकर विवरणी (पैरा 6.7.4 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
9	अनुबंध II –निबंधन और शर्तों की स्वीकृति और फर्म की ब्लैक लिस्ट में नाम न होने के बारे में घोषणा (पैरा 6.7.5 और 6.7.6 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं

10	कीटनाशक/कीटाणुनाशक /रसायन /सैनीटाइज़ेशन स्प्रे के लिए सरकार से प्राप्त लाइसेंस की प्रति (पैरा 6.2 का संदर्भ लें)	हाँ /नहीं
11	निविदा आमंत्रण सूचना की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति	हाँ /नहीं